बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(अंकों के पुनर्गणना संबंधी नियम)

01. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्गणना हेतु नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरान्त नियमों के अधीन पुनर्गणना हेतु आवेदन करें।

02. पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in के बांयी ओर के Menu में Online Form लिंक को Click करके Online Form भरा जा सकता है अथवा Direct Link buonline.resulthour.com का भी उपयोग किया जा सकता है।

03. विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राएँ यदि अपने प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं हैं तो विश्वविद्यालयीन अध्यादेश क्रमांक 6 की कण्डिका 26(1) के प्रावधानों के तहत परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्गणना के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। पुर्नगणना जितने चाहे उतने प्रश्न पत्र में कराई जा सकती है। निर्धारित समयावधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

04. चालान फार्म द्वारा बैंक में शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के 5 दिवस के पश्चात तक ही रहेगी, उसके बाद बैंक द्वारा चालान फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

05. पुनर्गणना हेतु ऑनलाइन Form Submit होने के पश्चात आवेदन की हार्ड कापी, अंकसूची की मूल प्रति एवं चालान की मूल प्रति (यदि आवेदन शुल्क बैंक में चालान के माध्यम से जमा किया गया हो तो) महाविद्यालय में अंकसूची प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर जमा करें।

06. पुनर्गणना के परिणाम की जानकारी संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी। पुनर्गणना परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in पर भी देखे जा सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक